भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3794

दिनांक 11 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण

3794. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के अनुरूप आधुनिक/यांत्रिक वधशालाओं सहित लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत वधशालाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश में संचालित बगैर लाइसेंस वाले या अनियंत्रित वधशालाओं की संख्या का अनुमान लगाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में वध किए गए पशुओं के कोई आंकड़े मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और गत तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं;

(घ) अनिवार्य निरीक्षणों के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती और देश में बगैर निरीक्षण के या बीमार, अयोग्य या गर्भवती पशुओं के वध की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान वधशालाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा रोग निगरानी को सुदृढ़ करने, मानवीय वध और अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों को लागू करने, अवैध वध और पशुओं के अंतर-राज्यीय परिवहन को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं तथा इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) एवं (ख) 20वीं पशुधन गणना, 2019 की अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत बूचड़खानों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) पशुपालन एवं डेयरी विभाग देश में लाइसेंस प्राप्त अथवा बिना लाइसेंस वाली वधशालाओं में अलग-अलग वध किए गए पशुधन के संबंध में आंकड़े संकलित/अनुमानित नहीं करता है। तथापि, 20वीं पशुधन गणना, 2019 की अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान मांस उत्पादन हेतु वध किए गए गोवंश, भेड़, बकरी, सुअर एवं कुक्कुट की राज्य-वार अनुमानित संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(घ) पशु चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती और बिना पशु चिकित्सा निरीक्षण के वध या रोगग्रस्त, अयोग्य या गाभिन पशुओं के वध के संबंध में राज्यवार जानकारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा रखी जाती है तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ङ) भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग, ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वधशालाओं की स्थापना या आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की है।

(च) सरकार ने रोग निगरानी को सुदृढ़ करने, मानवोचित वध प्रथाओं को बढ़ावा देने, पशु परिवहन को विनियमित करने और अवैध वध को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) रोग निगरानी: भारत सरकार (GoI) ने निम्नलिखित उपायों को अपनाकर पशु रोगों की निगरानी को मजबूत किया है:

• रोग निगरानी और अन्य कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL), भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), बरेली, राज्यों की पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं (RDDL) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

• पशु रोग निगरानी और अन्य संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पैर और मुंह रोग संस्थान (NIFMD), भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली, आईवीआरआई बरेली और राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (NIVEDI) बेंगलुरु को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

• ICAR -राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल प्रयोगशाला आधारित निगरानी के माध्यम से उभरते और विदेशी सीमा-पारीय पशु रोगों की निगरानी करता है।

• अच्छी पशुपालन पद्धतियों, जैव सुरक्षा/स्वच्छता उपायों, पशु रोगों के लिए टीकाकरण, रोग निगरानी और मॉनीटरिंग और क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, ICAR-NIVEDI ने राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली (NADRES) 2.0 विकसित की है जो लगभग दो महीने पहले संभावित पशु रोग जोखिमों का जिला-स्तरीय पूर्वानुमान प्रदान करती है।

• पशुधन रोगों की निगरानी सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए भारत पशुधन पोर्टल विकसित किया गया है।

• ICAR ने राष्ट्रीय पशु रोग महामारी विज्ञान नेटवर्क (NADEN) के माध्यम से पशुधन रोगों संबंधी निगरानी को सुदृढ़ किया है।

(ii) दयालुतापूर्ण ढंग से वध: पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिसूचित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001, वधशालाओं और पशुओं के दयालुतापूर्ण ढंग वध के लिए मानक निर्धारित करते हैं। रिट याचिका (सिविल) संख्या 2001 के 330, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य, में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लागू वैधानिक उपबंधों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए वधशालाओं से संबंधित नियमों और विनियमों का संकलन जारी किया था। भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड समय-समय पर परामर्शी जारी करता है।

(iii) अपशिष्ट प्रबंधन: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वधशालाओं, मांस प्रसंस्करण इकाइयों और समुद्री खाद्य (सीफूड) उद्योग के लिए निर्वहन मानकों को भी अधिसूचित किया है। वधशालाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जारी सहमति और संचालन के लिए सहमति में निर्धारित निर्वहन मानकों और सहमति शर्तों का पालन करना आवश्यक है। CPCB ने वधशालाओं द्वारा रेंडरिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत दिनांक 13.01.2022 को भी निर्देश जारी किए।

(iv) अवैध वध की रोकथाम और पशु परिवहन का विनियमन: पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित पशु परिवहन नियम, 1978, पारगमन के दौरान क्रूरता को रोकने के लिए पशुओं के परिवहन के लिए मानक निर्धारित करते हैं। अवैध वध की रोकथाम और वधशालाओं तथा पशुओं के परिवहन से संबंधित लागू कानूनों का प्रवर्तन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

अनुबंध- I

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वधशाला	
	पंजीकृत	अपंजीकृत
1	2	3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3
आंध्र प्रदेश	19082	5571
अरुणाचल प्रदेश	67	98
असम	6730	2510
बिहार	2262	1838
चंडीगढ़	1	0
छत्तीसगढ	9948	608
दादरा और नगर हवेली	-	-
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	956	168
गोवा	9	0
गुजरात	10735	2176
हरियाणा	680	729
हिमाचल प्रदेश	824	297
जम्मू और कश्मीर	589	1493
झारखंड	1471	879
कर्नाटक	1885	6214
केरल	254	1554
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	11260	1266
महाराष्ट्र	63587	9942
मणिपुर	28	46
मेघालय	25	37
मिजोरम	7	48
नागालैंड	278	840
ओडिशा	3805	2569
पुदुचेरी	3	16
पंजाब	916	111
राजस्थान	3585	1421
सिक्किम	35	47
तमिलनाडु	41351	8010
तेलंगाना	14658	2936
त्रिपुरा	235	805
उत्तर प्रदेश	31349	7518
उत्तराखंड	56	67
पश्चिम बंगाल	13138	5559
कुल:	239812	65376

स्रोत- 20$^{वीं}$ पशुधन संगणना 2019: अखिल भारतीय रिपोर्ट

अनुबंध-II

मांस उत्पादन के लिए वध किए गए गोपशुओं की संख्या का राज्यवार अनुमान (आंकड़े 000 में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु			भैंस		
		वर्ष 2022-23	2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0.00	148.25	0.00	1249.40	1454.34	1653.70
2	अरुणाचल प्रदेश	126.77	143.96	133.67	12.00	13.84	13.46
3	असम	62.25	66.41	16.10	2.50	2.67	2.12
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	1389.02	1376.76	1430.00
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	2.44
7	गुजरात	0.00	0.00	0.00	11.46	12.22	10.76
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	134.46	183.82	192.89
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	52.41	60.51	68.12
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	2.04	2.70	2.77
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	39.49	38.82	37.39
13	केरल	905.82	900.43	918.16	1173.53	1293.05	1370.31
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	305.02	305.81	297.77
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	1153.66	1234.93	1268.26
16	मणिपुर	96.38	102.30	107.68	53.91	56.16	52.28
17	मेघालय	293.25	322.48	334.77	5.85	6.23	5.45
18	मिजोरम	32.71	35.01	34.28	1.96	1.29	1.39
19	नागालैंड	56.21	52.81	57.03	20.55	22.53	20.64
20	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	782.01	832.88	917.90
22	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	1189.22	1189.72	1206.09
23	सिक्किम	13.10	16.84	19.67	2.15	2.22	2.30
24	तमिलनाडु	432.76	497.30	501.35	23.32	17.05	18.88
25	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	1323.62	1335.30	1429.54
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	4590.50	4988.20	5041.00
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	9.23	9.53	8.68
29	पश्चिम बंगाल	134.76	141.04	133.68	89.10	87.12	89.44
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.48	0.48	0.46	0.31	0.32	0.27
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.10	0.10	0.08	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	14.57	14.82	12.88	0.89	0.87	0.84
कुल		**2169.15**	**2442.23**	**2269.81**	**13620.31**	**14531.57**	**15144.70**

मांस उत्पादन के लिए वध किए भेड़ और बकरियों की संख्या का राज्यवार अनुमान (आंकड़े 000 में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भेड़			बकरी		
		वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	20026.31	26513.99	27895.22	5264.19	6657.60	6095.21
2	अरुणाचल प्रदेश	1.90	2.48	2.23	202.07	230.72	215.72
3	असम	346.92	399.71	351.38	2878.69	2707.10	2723.07
4	बिहार	129.75	126.76	120.12	12127.66	12448.95	13511.98
5	छत्तीसगढ	120.19	141.83	165.67	1080.82	1255.39	1392.03
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	183.01	178.90	189.46
7	गुजरात	27.71	31.10	29.71	49.17	56.18	63.52
8	हरियाणा	871.78	1019.64	1100.00	431.14	381.45	351.28
9	हिमाचल प्रदेश	33.44	34.86	34.22	88.10	92.49	85.02
10	जम्मू और कश्मीर	1247.51	1346.31	1403.00	705.18	818.13	742.68
11	झारखंड	156.40	173.04	156.59	3822.68	4257.69	4262.52
12	कर्नाटक	9564.35	10073.31	10597.02	6462.78	7008.71	6534.69
13	केरल	0.00	3.85	3.70	850.26	882.82	899.54
14	मध्य प्रदेश	117.83	119.85	125.01	2484.18	2648.10	2729.77
15	महाराष्ट्र	1352.94	1079.57	1117.09	9152.25	10201.62	11665.44
16	मणिपुर	48.86	51.91	45.99	75.20	80.41	80.69
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	151.46	170.57	160.25
18	मिजोरम	3.05	3.05	2.97	20.72	25.88	25.19
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	33.83	38.99	34.79
20	ओडिशा	1350.74	1324.63	1422.62	6669.25	6864.46	7182.13
21	पंजाब	318.46	352.97	321.00	548.14	617.59	592.14
22	राजस्थान	4508.16	4735.27	4797.86	7397.97	7736.74	7284.96
23	सिक्किम	0.65	0.66	0.65	10.19	12.75	11.76
24	तमिलनाडु	5762.11	5684.74	5229.04	6457.28	7709.25	7057.23
25	तेलंगाना	24838.06	24675.00	25491.54	6476.25	6918.30	6315.88
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	518.75	302.25	308.38
27	उत्तर प्रदेश	592.32	596.89	574.61	5349.12	5553.74	5220.27

28	उत्तराखंड	95.19	105.69	97.15	336.33	400.40	413.33
29	पश्चिम बंगाल	2029.87	1950.82	1906.97	42839.22	48188.85	47608.88
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	10.04	12.94	11.23
31	चंडीगढ़	11.26	9.94	9.27	24.93	26.06	28.75
32	लद्दाख	43.83	45.54	46.89	27.58	26.45	24.24
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	13.93	0.00	14.15
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	1.87	1.70	1.59
36	पुदुचेरी	103.87	100.75	99.00	656.24	661.25	669.83
कुल		**73703.46**	**80704.16**	**83146.53**	**123400.46**	**135174.43**	**134508.42**

मांस उत्पादन के लिए वध किए सूअर और पोल्ट्री की संख्या का राज्यवार अनुमान (आंकड़े 000 में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूअर			पोल्ट्री		
		वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	52.11	75.24	69.74	391509.39	270004.09	292970.53
2	अरुणाचल प्रदेश	115.33	125.89	116.26	1133.72	1133.71	1101.87
3	असम	678.40	721.35	695.65	9855.58	9285.47	9432.49
4	बिहार	1426.34	1358.88	1400.00	105575.88	105915.37	107349.26
5	छत्तीसगढ	114.16	124.82	128.24	28482.88	31343.32	31529.96
6	गोवा	34.61	37.22	39.09	3049.57	3349.92	3202.00
7	गुजरात	6.83	7.93	5.81	31534.29	33053.70	33965.39
8	हरियाणा	188.81	156.83	163.81	437608.05	467932.47	470428.90
9	हिमाचल प्रदेश	2.14	2.12	2.02	2291.01	2286.60	2376.07
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	44249.63	42000.23	39519.92
11	झारखंड	611.50	621.86	645.51	23477.98	23676.87	25041.99
12	कर्नाटक	110.31	120.53	115.44	119659.17	124366.80	118205.13
13	केरल	123.93	135.02	124.59	144960.39	155743.39	151570.89
14	मध्य प्रदेश	97.28	93.93	85.66	70875.23	73460.45	75617.48
15	महाराष्ट्र	1162.15	1156.31	1116.48	411457.24	475731.94	480154.66
16	मणिपुर	148.32	170.61	158.65	4432.45	4437.81	4345.99
17	मेघालय	389.62	417.87	398.69	2707.99	2717.99	3834.48
18	मिजोरम	57.09	58.59	54.49	2631.20	2583.65	2559.89

19	नागालैंड	159.20	172.68	163.43	727.16	727.16	735.43
20	ओडिशा	98.36	98.36	99.86	81221.58	84811.62	86281.88
21	पंजाब	15.56	14.27	13.28	136256.38	138805.55	132522.43
22	राजस्थान	484.37	484.36	424.13	10683.50	10937.85	10725.33
23	सिक्किम	22.63	22.60	21.64	892.16	916.72	903.25
24	तमिलनाडु	110.14	65.91	66.01	313938.35	331093.70	344771.98
25	तेलंगाना	167.04	191.57	172.90	346944.89	367760.38	355272.37
26	त्रिपुरा	275.90	304.78	307.86	20149.06	19755.71	19589.14
27	उत्तर प्रदेश	1162.19	1195.05	1225.11	302534.19	303052.30	310589.31
28	उत्तराखंड	28.34	26.25	25.23	8806.29	9904.41	10395.71
29	पश्चिम बंगाल	1476.56	1648.08	1699.32	250110.45	250110.45	260946.83
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.24	11.72	10.49	2673.45	2731.64	2540.51
31	चंडीगढ़	3.21	2.98	3.01	53.00	47.17	41.10
32	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	10.72	10.91	11.93
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	66.74	66.74	69.13
36	पुदुचेरी	0.89	1.04	1.10	5213.98	5213.98	5326.46
कुल		**9333.55**	**9624.65**	**9553.50**	**3315773.55**	**3354970.07**	**3393929.70**

गोपशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और पोल्ट्री सहित मांस उत्पादन के लिए वध किए गए कुल पशुओं की संख्या का राज्य-वार अनुमान (आंकड़े 000 में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशुओं की कुल संख्या (मांस उत्पादन वर्ष 2022-23)	पशुओं की कुल संख्या (मांस उत्पादन वर्ष 2023-24)	पशुओं की कुल संख्या (मांस उत्पादन वर्ष 2024-25)
1	आंध्र प्रदेश	418101.40	304853.51	328684.40
2	अरुणाचल प्रदेश	1591.78	1650.60	1583.22
3	असम	13824.34	13182.71	13220.81
4	बिहार	120648.65	121226.72	123811.36
5	छत्तीसगढ	29798.05	32865.36	33215.90
6	गोवा	3269.87	3568.72	3432.99
7	गुजरात	31629.46	33161.13	34075.19
8	हरियाणा	439234.24	469674.21	472236.88
9	हिमाचल प्रदेश	2414.69	2416.07	2497.33
10	जम्मू और कश्मीर	46254.73	44225.18	41733.72
11	झारखंड	28070.60	28732.16	30109.38
12	कर्नाटक	135836.11	141608.17	135489.67

13	केरल	148013.93	158958.56	154887.19
14	मध्य प्रदेश	73879.53	76628.14	78855.70
15	महाराष्ट्र	424278.23	489404.37	495321.93
16	मणिपुर	4855.12	4899.20	4791.28
17	मेघालय	3548.17	3635.14	4733.64
18	मिजोरम	2746.72	2707.47	2678.22
19	नागालैंड	996.95	1014.17	1011.32
20	ओडिशा	89339.94	93099.07	94986.49
21	पंजाब	137920.56	140623.26	134366.75
22	राजस्थान	24263.23	25083.94	24438.38
23	सिक्किम	940.88	971.79	959.27
24	तमिलनाडु	326723.96	345067.95	357644.50
25	तेलंगाना	379749.87	400880.55	388682.23
26	त्रिपुरा	20943.71	20362.74	20205.38
27	उत्तर प्रदेश	314228.33	315386.18	322650.30
28	उत्तराखंड	9275.38	10446.28	10940.10
29	पश्चिम बंगाल	296679.96	302126.36	312385.14
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2694.51	2757.10	2562.95
31	चंडीगढ़	92.40	86.15	82.13
32	लद्दाख	82.13	82.90	83.06
33	दमन और दीव	13.93	0.00	14.15
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.80
35	लक्षद्वीप	68.71	68.54	70.80
36	पुदुचेरी	5990.44	5992.71	6110.11
कुल		**3538000.48**	**3597447.11**	**3638552.65**

स्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी (BAHS) 2024 और 2025 में प्रकाशित अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग